सुधार परिपत्र सं.7

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

Dated .....

सं.सी-42/2011-एमपीलैड्स **दिनांक: 8 अगस्त, 2011**

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के नोडल सचिव
दिल्ली/कोलकाता/ चेन्नई/मुंबई के नगर निगम आयुक्त
सभी जिलों के जिला कलेक्टर /जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषयः एमपीलैड दिशा-निर्देशों में संशोधन के बारे में ।

महोदय/महोदया,

मंत्रालय को पिछले कुछ वर्षों से, 'आकस्मिक' राशि बढ़ाने और उसके साथ-साथ व्यय की कुछ अन्य मदों को शामिल करने, जैसे, नोडल जिलों में लेखों और आंकड़ा प्रविष्टियों आदि को तैयार करने के लिए संविदा आधार पर एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन एवं सुझाव प्राप्त हो रहे हैं । इन सुझावों की जांच की गई और चर्चाओं तथा अनुभव के आधार पर, सरकार ने योजना के समुचित प्रबोधन तथा कार्यान्वयन के लिए राज्यों/जिलों को देय वार्षिक परिव्यय को 0.5% से 2% तक 'प्रशासनिक व्ययों' के रूप में बढ़ाने का निर्णय लिया है । तदनुसार, वर्तमान एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों, 2005 के पैरा 4.17 को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाएः-

पैरा 4.17 - **प्रशासनिक व्यय** - एमपीलैड्स निधि की वार्षिक पात्रता की 0.5% की मौजूदा आकस्मिक निधि को प्रशासनिक व्यय के रूप में 2% तक बढ़ा दिया गया है । प्रशासनिक निधि का 2% सांसद की 5 करोड़ रु. की वार्षिक पात्रता का हिस्सा होगा तथा इसे नोडल जिला, कार्यान्वयन जिला (जिले) और राज्य नोडल विभाग के बीच में बाँटा जाएगा तथा यह वित्त वर्ष 2011-12 से लागू होगा ।

2. प्रशासनिक व्यय जो एमपीलैड निधि का 2% है, निम्न प्रकार वितरित किया जाएगाः-

(क) लोक सभा सांसद के लिए, एमपीलैड्स निधि की प्रत्येक किस्त प्राप्त होने पर नोडल जिला प्राधिकारी 0.2 : 0.8 के अनुपात में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र नोडल विभाग तथा स्वयं के बीच 1% (प्रशासनिक व्ययों के लिए निर्धारित 2% में से) को तत्काल बांटेगा । शेष 1% को कार्यान्वयन जिले के रूप में नोडल जिले के साथ-साथ सांसद के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सभी कार्यान्वयन जिलों के बीच समानरूप से वितरित किया जाएगा ।

(ख) राज्य सभा सांसद के लिए, एमपीलैड्स निधि की प्रत्येक किस्त प्राप्त होने पर, नोडल प्राधिकारी 0.2 : 0.8 के अनुपात में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र नोडल विभाग तथा स्वयं के बीच 1% (प्रशासनिक व्ययों के लिए निर्धारित 2% में से) को तत्काल बांटेगा । शेष 1% नोडल जिले द्वारा रखा जाएगा ।

(ग) लोक सभा तथा राज्य सभा के मनोनीत सदस्यों के मामले में, सम्पूर्ण 2% प्रशासनिक प्रभार नोडल जिले द्वारा रखा जाएगा ।

3. प्रशासनिक व्ययों को निम्नानुसार उपयोग किया जाएगाः

(क) निम्नलिखित कार्य-कलापों का निष्पादन करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र नोडल विभाग द्वारा,

(i) तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण/वास्तविक लेखा परीक्षा तथा गुणवत्ता जांच, तथा
(ii) राज्य स्तर पर कार्यों की निगरानी

(ख) निम्नलिखित कार्य-कलापों का निष्पादन करने के लिए नोडल जिले द्वारा,

(i) लेखों, आंकड़ा प्रविष्टि, वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड करने इत्यादि के लिए सेवाओं/परामर्शकों को मेहनताना देकर रखना,
(ii) जनता के बीच योजना के बारे में जागरुकता पैदा करना तथा चल रहे और पूरे हो चुके कार्यों की सूचना का प्रसार करना,
(iii) स्टेशनरी की खरीद,
(iv) एमपीलैड्स योजना/प्रबोधन के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर (लैपटॉप के अलावा) सहित कार्यालयीन उपकरण,
(v) टेलीफोन/फैक्स शुल्क, डाक शुल्क,
(vi) किए गए व्यय (क) एमपीलैड्स कार्यों की निगरानी करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने और अन्य एमपीलैड्स पोर्टलों को कार्यशील बनाने के लिए, (ख) लेखों की लेखा-परीक्षा कराने तथा लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए ।
(vii) विशिष्ट मामलों में तकनीकी अनुमानों (यदि आवश्यक हो) की आउटसोर्सिंग ।

(ग) निम्नलिखित कार्य-कलापों का निष्पादन करने के लिए कार्यान्वयन जिले द्वारा,

(i) योजना के बारे में जनता के बीच जागरुकता पैदा करना तथा चल रहे और पूरे किए जा चुके कार्यों की सूचना का प्रसार करना,
(ii) स्टेशनरी की खरीद,
(iii) एमपीलैड योजना/प्रबोधन के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर (लैपटाप के अलावा) सहित कार्यालयीन उपकरण,
(iv) टेलीफोन/फैक्स शुल्क, डाक शुल्क,
(v) लेखों के रख-रखाव और कार्यों के प्रबोधन के लिए सेवाओं/परामर्शकों को मेहनताना देकर रखना, एवं
(vi) विशिष्ट मामलों में तकनीकी अनुमानों (यदि आवश्यक हो) की आउटसोर्सिंग ।

4. एमपीलैड योजना के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान किए गए ऐसे व्यय के लिए एक अलग से बैंक खाता तथा कार्यालय कैश बुक का रख-रखाव राज्य स्तर पर नोडल विभाग द्वारा, नोडल जिले और कार्यान्वयन जिले के द्वारा भी किया जाएगा ।

5. इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय

पंकज जैन

(पंकज जैन)
अपर सचिव
दूरभाषः 23344551

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स प्रभाग से संबंधित अधिकारी ।
5. एनआईसी को एमपीलैड्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।